


# जनहित सेवा संस्थान सींगड़ (नागौर)

304

## नव निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची दिनांक 22.12.2018

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद
1	करण सिंह	श्री तेजसिंह राठौड़	अध्यक्ष
2	भगवानाराम ताण्डी	श्री अन्नाराम तांडी	सचिव
3	जगदीश बागड़िया	श्री अखाराम बागड़िया	कोषाध्यक्ष
4	अर्जुनराम	श्री खियाराम	उपाध्यक्ष
5	कानाराम	श्री अन्नाराम	उप सचिव
6	ओम प्रकाश कूदण	श्री उदाराम कूदण	सदस्य
7	अशोक	श्री मोहन राम	सदस्य
8	भंवर सिंह जोया	श्री जेटूसिंह जोया	सदस्य
9	श्रीमति मंजू	श्री कुम्भाराम	सदस्य
10	श्रीमति जेठी	श्री मोहनराम	सदस्य
11	श्रीमति मुन्नी	श्री रामसुख मांजु	सदस्य



अध्यक्ष  
जनहित सेवा संस्थान  
सिंगड़ नागौर

मंत्री  
जनहित सेवा संस्थान  
सिंगड़ नागौर

चुनाव अधिकारी  
जनहित सेवा संस्थान  
सिंगड़ नागौर

गजस्थान सोमा... 1958 के धारा 19 के अन्तर्गत...  
प्रमाणित किया है कि...  
पत्र, जो कार्यकारिणी की धारणाओं के संबन्ध में प्रस्तुत किया गया है, की प्रमाणात्मक प्रति है।  
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर  
रजिस्ट्रार, संस्कार ब...

## (तुलनात्मक स्टेटमेंट)

आम सभा में पारित संशोधन दिनांक 23/08/2016

क्र. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	संस्था का वर्तमान नाम :-	संस्था का वर्तमान नाम : जनहित सेवा संस्थान सींगड है व रहेगा	यथावत
2	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता संस्था का पूर्ण कार्यक्षेत्र	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता ग्राम सींगड संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान	यथावत
3	संस्था का उद्देश्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. शिक्षण प्रशिक्षण के लोकहित के कार्य करना।</li> <li>2. ग्रामीण क्षेत्र में समिति द्वारा नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रों का आयोजन करवाना तथा उनको रोजगार दिलाने एवं मुक्त भगीर विकलांग बच्चों के लिए आवासीय एवं सामान्य शिक्षा के लिए स्कूल संचालन करने हेतु योजनाओं का प्रयास करना।</li> <li>3. महिला विकासक एवं बाल विकास जो सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहायक प्रशिक्षण देना।</li> <li>4. गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार हेतु समिति द्वारा निशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण देना।</li> <li>5. राजस्थान सरकार व भारत सरकार के द्वारा चलाये गये जनहितार्थ एवं विकास के कार्यों में सहयोग देना।</li> <li>6. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अल्प संख्यक व बाह्य वर्ग के लिए उत्थान के लिए प्रयास करना।</li> <li>7. प्राकृतिक आपदाओं एवं बीमारी से ग्रस्त निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता</li> </ol>	<p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p>

संस्था में दिनांक 26-9-2016 का  
उपरोक्त संशोधन पत्र संशोधित  
विधान पंजीकृत किया गया।

  
संस्थापक  
नागौर

अध्यक्ष

KGM


मंत्री

कोषाध्यक्ष

Jagdish

देना।	
8. राज्य एवं केन्द्रीय सरकार एवं कपार्ट का ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वत करने का प्रयास करना।	यथावत
9. वृद्धजनों के हितार्थ एवंज न कल्याण हेतु सम्बंधित प्रयास एवं डे केयर सेन्टर चलाने का प्रयास करना।	यथावत
10. आयुर्वेदिक औषधियों व पौधों को उगाने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाएं चलाने का प्रयास करना।	यथावत
11. चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल विकास एवं आईवी/एड्स सम्बंधी योजनाएं क्रियान्वत करने का प्रयास करना।	यथावत
12. युवाओं के खेलकूद एवं प्रशिक्षण सम्बंधी योजनाएं चलाने का प्रयास करना।	यथावत
13. पशुधन संरक्षण विकास एवं चिकित्सा की योजनाएं चलाने का प्रयास करना।	यथावत
14. अल्प संख्यक अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के लिए औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण का संचालन करवाना आदि कार्य।	यथावत
15. बेरोजगार युवक, युवतियों को प्लेसमैन्ट एजेन्सी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना भी प्रमुख उद्देश्य है।	यथावत

संस्था में दिनांक 26-9-2016 को  
उपनियम संशोधन अर्हत संशोधित  
विधान पंजीकृत किया गया।

  
रजिस्टार संस्थाएं  
नागौर

अध्यक्ष



जनहित सेवा संस्थान  
(सींगड, नागौर)

मंत्री



कोषाध्यक्ष



संस्था का नाम : जनहित सेवा संस्थान सीगड़ (नागौर)  
रजि. क्रमांक : 5/नागौर/96-97

276

दिनांक : 09.04.1996

			16. चिकित्सा संस्थानों एवं अन्य विभागों में साफ सफाई का कार्य में सहयोग प्रदान करना।
--	--	--	--

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



संस्था में दिनांक 26-9-2016 का उपनियम संशोधन सहित संशोधित विधान पंजीकृत किये गये।

रजिस्ट्रार संस्थाएं  
नागौर

अध्यक्ष

जनहित सेवा संस्थान  
सीगड़ (नागौर)

मंत्री

Secretary  
Janhit Seva Sansthan  
Seegad (Nagaur)

कोषाध्यक्ष


कोषाध्यक्ष  
जनहित सेवा संस्थान  
सीगड़ (नागौर)

(संघ विधान पत्र)

आम सभा में पारित संशोधन दिनांक 23/08/2016

क्र. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	संस्था का वर्तमान नाम :-	संस्था का वर्तमान नाम : जनहित सेवा संस्थान सींगड है व रहेगा	यथावत
2	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता संस्था का पूर्ण कार्यक्षेत्र	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता ग्राम सींगड संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान	यथावत
3	संस्था का उद्देश्य	<ol style="list-style-type: none"><li>1. शिक्षण प्रशिक्षण के लोकहित के कार्य करना।</li><li>2. ग्रामीण क्षेत्र में समिति द्वारा नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए कम्पों का आयोजन करवाना तथा उनको रोजगार दिलाने एवं मुक्त भगीर विकलांग बच्चों के लिए आवासीय एवं सामान्य शिक्षा के लिए स्कूल संचालन करने हेतु योजनाओं का प्रयास करना।</li><li>3. महिला विकास एवं बाल विकास जो सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहायक प्रशिक्षण देना।</li><li>4. गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार हेतु समिति द्वारा निशुल्क शिक्षण व प्रशिक्षण देना।</li><li>5. राजस्थान सरकार व भारत सरकार के द्वारा चलाये गये जनहितार्थ एवं विकास के कार्यों में सहयोग देना।</li><li>6. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अल्प संख्यक व बाह्य वर्ग के लिए उत्थान के लिए प्रयास करना।</li><li>7. प्राकृतिक आपदाओं एवं बीमारी से ग्रस्त</li></ol>	यथावत यथावत यथावत यथावत यथावत यथावत


उपस्थित दिनांक 26-9-2016  
उपस्थित संशोधन सहित संशोधित  
विधान पंजीकृत किया गया

  
जस्टिसर संस्थाए  
नागौर

अध्यक्ष



मंत्री



कोषाध्यक्ष



		<p>निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना।</p> <p>8. राज्य एवं केन्द्रीय सरकार एवं कपार्ट का ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वत करने का प्रयास करना।</p> <p>9. वृद्धजनों के हितार्थ एवंज न कल्याण हेतु सम्बंधित प्रयास एवं डे केयर सेन्टर चलाने का प्रयास करना।</p> <p>10. आयुर्वेदिक औषधियों व पौधों को उगाने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाएं चलाने का प्रयास करना।</p> <p>11. चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल विकास, एचआईवी/एड्स सम्बंधी योजनाएं क्रियान्वत करने का प्रयास करना।</p> <p>12. युवाओं के खेलकूद एवं प्रशिक्षण सम्बंधी योजनाएं चलाने का प्रयास करना।</p> <p>13. पशुधन संरक्षण विकास एवं चिकित्सा की योजनाएं चलाने का प्रयास करना।</p> <p>14. अल्प संख्यक असभूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के लिए औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण का संचालन करवाना आदि कार्य।</p> <p>15. बेरोजगार युवक, युवतियों को प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना भी प्रमुख उद्देश्य है।</p>	<p>यथावत</p> <p>278</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>16. चिकित्सा संस्थानों एवं अन्य विभागों में साफ सफाई का कार्य में सहयोग प्रदान करना।</p>
<p>संस्था में दिनांक 26-9-2016 का उपनिधम संशोधन द्वारा संशोधित निबन्धन पंजीकृत किया गया।</p>	<p>राजस्थान संस्थाएं नागौर</p>		

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

Rm

मंत्री

\_\_\_\_\_

कोषाध्यक्ष

Jagdish

जयपुर


## (विधान नियमावली)

279

आम सभा में पारित संशोधन दिनांक 23/08/2016

क्र. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	संस्था का वर्तमान नाम :-	संस्था का वर्तमान नाम : जनहित सेवा संस्थान सींगड़ है व रहेगा	यथावत
2	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता संस्था का पूर्ण कार्यक्षेत्र	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता ग्राम सींगड़ संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान	यथावत
3	संस्था का उद्देश्य	<ol style="list-style-type: none"><li>1. शिक्षण प्रशिक्षण के लोकहित के कार्य करना।</li><li>2. ग्रामीण क्षेत्र में समिति द्वारा नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए कम्पों का आयोजन करवाना तथा उनको रोजगार दिलाने एवं मुक्त भगीर विकलांग बच्चों के लिए आवासीय एवं सामान्य शिक्षा के लिए स्कूल संचालन करने हेतु योजनाओं का प्रयास करना।</li><li>3. महिला विकास एवं ग्रामीण विकास जो सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहायक प्रशिक्षण देना।</li><li>4. गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार हेतु समिति द्वारा निशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण देना।</li><li>5. राजस्थान सरकार व भारत सरकार के द्वारा चलाये गये जनहितार्थ एवं विकास के कार्यों में सहयोग देना।</li><li>6. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अल्प संख्यक व बाह्य वर्ग के लिए उत्थान के लिए प्रयास करना।</li><li>7. प्राकृतिक आपदाओं एवं बीमारी से ग्रस्त निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना।</li></ol>	यथावत यथावत यथावत यथावत यथावत यथावत यथावत


संस्था का दिनांक 26-9-2016 का  
उपनियम संशोधन पारित संशोधित  
विधान पंजीकृत नियम है।

  
राजेंद्र सिंह  
नागौर

अध्यक्ष



मंत्री



कोषाध्यक्ष

  
कोषाध्यक्ष

280

<p>संस्था में दिनांक 26-9-2016 को उपनियम संगोधन सहित संशोधित विद्यमान पंजीकृत किया गया।</p> <p><i>[Signature]</i> रजिस्ट्रार संस्था नागौर</p>	<p>8. राज्य एवं केन्द्रीय सरकार एवं कपार्ट का ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वत करने का प्रयास करना।</p> <p>9. वृद्धजनों के हितार्थ एवंज न कल्याण हेतु सम्बंधित प्रयास एवं डे केयर सेन्टर चलाने का प्रयास करना।</p> <p>10. आयुर्वेदिक औषधियों व पौधों को उगाने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाएं चलाने का प्रयास करना।</p> <p>11. चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल विकास, एचआईवी/एडस सम्बंधी योजनाएं क्रियान्वत करने का प्रयास करना।</p> <p>12. युवाओं के खेलकूद एवं प्रशिक्षण सम्बंधी योजनाएं चलाने का प्रयास करना।</p> <p>13. पशुधन संरक्षण विकास एवं चिकित्सा की योजनाएं चलाने का प्रयास करना।</p> <p>14. अल्प संख्यक अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के लिए औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण का संचालन करवाना आदि कार्य।</p> <p>15. बेरोजगार युवक, युवतियों को प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना भी प्रमुख उद्देश्य है।</p>	<p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत</p>
		<p>16. चिकित्सा संस्थानों एवं अन्य विभागों में साफ सफाई का कार्य में सहयोग प्रदान करना।</p>

अध्यक्ष

*[Signature]*

जनहित सेवा संस्थान  
सीगड (नागौर)

मंत्री

*[Signature]*

जनहित सेवा संस्थान  
सीगड (नागौर)

कोषाध्यक्ष

*[Signature]*

कोषाध्यक्ष  
जनहित सेवा संस्थान  
सीगड (नागौर)

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

281

4	सदस्यता	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :- 1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो। 2. बालिग हो। 3. पागल, दीवालिये न हों। 4. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।	यथावत
5	सदस्यों का वर्गीकरण धीरज	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :- ■ संरक्षक ■ वरिष्ठ ■ सम्मानिय ■ साधारण (जो लागू न हो उसे काट दीजिये)	यथावत
6	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा:	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क देय होगा - ■ संरक्षक राशि 1,000 /- वार्षिक/आजन्म ■ विशिष्ट राशि 1,000 /- वार्षिक/आजन्म ■ सम्मानिय राशि 151 /- वार्षिक/आजन्म ■ साधारण राशि 151 /- वार्षिक/आजन्म उक्त राशि एक मुश्त जमा कराई जा सकेगी।	यथावत
7	सदस्यता से निष्कासन :  संस्था में दिनांक 26-9-2016 का उपनियम संशोधन संशोधित संशोधित विधान पंजीकृत किया गया।  रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा ■ मृत्यु होने पर ■ त्याग पत्र देने पर ■ संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। ■ प्रबन्धकारियों द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिवस के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय होगा।	यथावत

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

Rm

Jagdish

जगदीश  
कोषाध्यक्ष  
जनहित सेवा संस्थान  
सीगड़ (नागौर)

282

3	साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या - 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	यथावत
9	साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य:	<p>साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।</li> <li>▪ वार्षिक बजट पारित करना।</li> <li>▪ प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।</li> <li>▪ संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्टर कार्यालय में फाईल करवाया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)</li> </ul>	यथावत
10	साधारण सभा की बैठकें :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ साधारण सभा की वर्ष एक बैठक अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।</li> <li>▪ साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।</li> <li>▪ बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना के दिन पूर्व ही आयेगी। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दिन पश्चात 5 निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।</li> </ul> <p>संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री / अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक ने बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी</p>	यथावत

संस्था में दिन (शु.) 26-9-2016 को  
 उपनियम संशोधन सहित संशोधित  
 विधान पंजीकृत किया गया।

*[Signature]*  
 मजिस्ट्रेट संस्थाएं  
 नागौर

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

*[Signature]*

*[Signature]*


*[Signature]*

संस्था का नाम

जनहित सेवा संस्थान  
 सींगड (नागौर)

		कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैज्ञानिक व सर्वमान्य होंगे।	203
11	कार्यकारिणी का गठन	संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे : 1. अध्यक्ष एक 2. उपाध्यक्ष एक 2. मंत्री एक 4. कोषाध्यक्ष एक 5. उपमंत्री एक 6. सदस्य छः इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व 6 सदस्य कुल 11 सदस्य होंगे।	यथावत
12	कार्यकारिणी का निर्वाचन		
	पर्व निर्वाचन की कार्यकारिणी का निर्वाचन		विधान में संशोधन किया गया नियम (नया नियम)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि से साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।</li> <li>चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।</li> <li>चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव पहले 2 वर्ष की अवधि से साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।</li> <li>यथावत</li> <li>यथावत</li> </ul>
13	कार्यकारिणी के अधिकारी और कर्तव्य	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार में कर्तव्य होंगे : <ul style="list-style-type: none"> <li>सदस्य बनाना/ निष्कासित करना।</li> <li>वार्षिक बजट तैयार करना।</li> <li>संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।</li> <li>वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।</li> <li>साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।</li> </ul>	यथावत


संस्था का दिनांक 26-9-2016 का  
उपनियम संशोधन सहित संशोधित  
विधान प्रजोक्त किया गया।

  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
नागौर

अध्यक्ष



मंत्री



कोषाध्यक्ष



जबहिन सेवा संस्थान  
सीगड (नागौर)

284

		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्य व्यवस्था हेतु अप समितियां बनाना।</li> <li>अन्य कार्य को संस्था के हितार्थ हो, करना।</li> </ul>	
<p>14</p>	<p>कार्यकारिणी की बैठक</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यकारिणी का वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी।</li> <li>लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कमी भी बुलायी जा सकेंगी।</li> <li>बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।</li> <li>बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यवश्यक बैठक की सूचना संचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।</li> <li>कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धक कार्यकारिणी के कम से कम 2 पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।</li> </ul>	<p>यथावत</p>
<p>15</p>	<p>प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य</p>	<p>1. उपमंत्री</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।</li> </ul>	

संस्था का दिनांक 26-9-2016 को  
 उपनियम संशोधन सहित संशोधित  
 विधान संशोधन प्रिय भये।

*[Signature]*  
 निदेशक संस्था  
 नागौर

अध्यक्ष

*[Signature]*

मंत्री

*[Signature]*

कोषाध्यक्ष

*[Signature]*

कोषाध्यक्ष  
 जनहित सेवा संस्थान  
 सींगड़ (नागौर)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।</li> </ul> <p>2. कोषाध्यक्ष</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ वार्षिक लेखा- जोखा तैयार करना।</li> <li>▪ दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।</li> <li>▪ चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।</li> <li>▪ अन्य प्रदत्त कार्य समन्वय करना।</li> </ul>	यथावत	(285)
16	संस्था का कोष	<p>संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ चन्दा</li> <li>▪ शुल्क</li> <li>▪ अनुदान</li> <li>▪ सहायता</li> <li>▪ राजकीय अनुदान</li> </ul> <p>(1) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। (2) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो प्रदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन देन संभव होगा।</p>	यथावत	
17	कोष समबंधी विशेषधिकारी	<p>संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि की एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ अध्यक्ष 2,000 /- रु.</li> <li>▪ मंत्री 1,000 /- रु.</li> <li>▪ कोषाध्यक्ष 1,000 /- रु.</li> </ul> <p>उपरोक्त राशि अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।</p>	यथावत	
18	संस्था के लेखों का अंकेक्षण	<p>संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण सी ए द्वारा कराया जावेगी।</p>	यथावत	
19	संस्था के विधान में परिवर्तन :	<p>संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 12 के अनुरूप होगा।</p>	यथावत	

संस्था में दिनांक 26-9-2016 को  
अधिनियम संशोधन सहित संशोधित  
विधान पंजीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं  
नागौर

अध्यक्ष

*Ran*

मंत्री

*[Signature]*

कोषाध्यक्ष

*Jagdish*

कोषाध्यक्ष  
जनहित सेवा संस्थान  
सीगड (नागौर)

संस्था का नाम : जनहित सेवा संस्थान सींगड़ (नागौर)

रजि. क्रमांक : 5/नागौर/96-97

दिनांक : 09.04.1996

20	संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यकता हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा (3) व (4) के अनुरूप होगी।	यथावत
21	संस्था के लेखों जोखा का निरीक्षण करना।	रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की मूर्ति को जाबेगी	यथावत

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) जनहित सेवा संस्थान - सींगड़ समिति की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।



संस्था का दिनांक 26-9-2016 का  
अधिनियम संशोधन संहिता संशोधित  
विधान पंजीकृत किया गया।

राजस्थान संस्थाएं अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह  
प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किशोर्  
पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में प्रकाशित 274 से 296 तक  
तक उपलब्ध है, की प्रमाणित प्रतिलिपि है।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 26-9-2016 तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार, संस्थाएं, नागौर

*[Signature]*  
रजिस्ट्रार, संस्थाएं  
नागौर

अध्यक्ष

*[Signature]*

मंत्री

*[Signature]*

*[Signature]*

कोषाध्यक्ष

संस्थाएं

राजस्थान संस्थाएं  
नागौर (नागौर)